International Journal of Applied and Universal Research **E- ISSN No: 2395-0269**
Volume IV, Issue VI, December 2017 Available online at: www.ijaur.com

जनजातीय परिवारो में औद्योगिक वर्ग के आधार पर परिवर्तन का अध्ययन सिवनी जिले के सन्दर्भ में

डा0 अमिताप शर्मा
वाणिज्य विभाग शास0स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी (म0प्र0)

सारांश – प्रस्तुत शोध मध्यप्रदेश राज्य के सिवनी जिले के जनजातीय परिवारो में औद्योगिक वर्ग के आधार पर परिवर्तन का अध्ययन है। जिला सिवनी जो महाकौशल का अभिन्न अंग है। मध्यप्रदेश के विकास में आदिवासी समाज के अर्थव्यवस्था का अत्याधिक महत्व हैं। प्रदेश का विकास इन्हीं जनजातियों के आर्थिक परिवर्तनों पर निर्भर हैं। जनजाति विकास हेतु प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से बजट का एक बड़ा जाना व्यय किया जा रहा हैं।परियोजनाओ का लाभ आदिवासियों को पहुंच रहा है या नहीं यह एक विचारणीय प्रश्न हैं।शोध का विषय क्षेत्र की आवश्यकता आर्थिक माप के अनुरूप है आर्थिक अनुसंधान हेतु कुछ ऐसे सूचको जो कि आदिवासी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते है की पहचान आवश्यक है आर्थिक परिवर्तनो क अध्ययन में समयवद्व समंको की अपरिहार्यता होते हुए भी उपलब्ध न हो सकने के फलस्वरूप पृथक जनजातियों के तुलनात्मक अध्ययन कर परिवर्तन की वस्तुस्थिति एवं प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान की गई है। आदिवासी अर्थव्यवस्था के परिवर्तन में उनके व्यवसायिक स्वरूप, कृषि संरचना, सम्पत्ति का स्वरूप आय संरचना उपभोग स्वरूप ऋणग्रस्तता आदि आर्थिक कारकों को विवेचित किया गया है।

मुख्य शब्द – जनजातीय विकास कार्यक्रम, औद्योगिक परिवर्तन, सिवनी मध्यप्रदेश ।

प्रस्तावना –

मध्यप्रदेश के विकास में आदिवासी समाज के अर्थव्यवस्था का अत्याधिक महत्व हैं। आदिवासी क्षेत्रों के भौगोलिक एवं भूगर्भीय अध्ययन से स्पष्टतः यह तथ्य सामने आये हैं कि ये क्षेत्र खनिज सम्पदा और जल विद्युत की असीम संभावनाओं से पूर्ण हैं। आदिवासी विकास की योजना बनाते समय हमेशा यह प्रश्न विचारणीय रहा है कि आदिवासियों के सामाजिक परिवेश को बिना बदले उस समाज को किस प्रकार लाभ पहुंचाये जायें। जनजातियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से औद्योगिक केन्द्र, शिक्षा का प्रसार, बैंको की स्थापना, कृषि क्षेत्रों का विकास स्वरोजगार योजना तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी आदिवासी समाज को प्राथमिकताएं दी जा रही है इसके लिए राष्ट्रीय स्तर प्रदेश स्तर, संभाग, जिला तथा तहसील व खण्ड स्तर पर विभिन्न विकास संस्थाएं आदिम जाति क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं किंतु हमें यह जानना आवश्यक हो गया है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ इस समाज तक कैसे पहुंच रहा हैं।

मध्यप्रदेश में पंचायती राज के लागू होने के पश्चात् आदिवासी समाज के जीवन स्तर में जो आर्थिक परिवर्तन हुए हैं उनकी दशा और दिशा का अध्ययन आवश्यक हैं। यह सर्व विदित है कि आदिवासियों का जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्रों से होता है जो मानसून पर निर्भर है एवं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कृषि उपजाऊ भूमि का अभाव है और सिंचाई सुविधाएं भी नगण्य हैं अर्थात जनजाति क्षेत्रों की भौगोलिक, आंचलिक, सामाजिक और संस्कृति भिन्नताओं का प्रभाव जनजाति समाज की आर्थिक विषमताओं पर रहा हैं। कुछ जनजातियां अन्य की तुलना में तीव्र गति से आर्थिक प्रगति कर रही है और उनका जीवन ढांचा बदल रहा हैं उनके पीछे क्या कारण हैं यह जानना आदिवासी समाज एवं प्रदेश के हित में होगा। कुछ जनजातियों के अधिक गतिशील होने और कुछ के अधिक पिछडे होने के कौन से कारण है। इसकी जांच करना मेंरी शोध की महत्ता को प्रदर्शित करती है।

अविकसित समाज के विकास में बाधक तत्वों पर विवाद वर्षो से चल रहा है आर्थिक विषमता की मूल समस्या से परिचित होने के लिये अपनी विरासत में मिले सैद्वांतिक दृष्टिकोण अपर्याप्त है, अन्तर्राष्टीय व्यापार संबंधी अध्ययन चाहे वह कितने ही अंतरंग रूप से क्यों न किया जाये, इस तथ्य का कारण परिणम विवेचना के माध्यम से व्याख्या नहीं कर सकता कि अन्तर्राष्टीय असमानता के तथ्यों का जन्म कैसे हुआ और आर्थिक असमानता की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर वृद्वि की दिशा में क्यों है। अन्तर्राष्टीय व्यापार और अर्थशास्त्र के सिद्वांतों का अध्ययन तो वास्तव में कभी भी इस दृष्टि से नहीं किया गया कि आर्थिक पिछडेपन और आर्थिक विकास प्रक्रिया की वास्तविकताओं को समझा बूझा जा सके।

यदि हमें प्रतृतियों में होने वाले परिवर्तनों का दीर्घकालीन अध्ययन करना हो या समूहों और देशों के बीच पाये जाने वाले भेदों के कारण मालूम करने हो तो अधिकतर वर्तमान काल के आर्थिक सिद्वांतों की सीमांओ से आगे जाना होगा। यद्यपि यह कहना असंगत नहीं होगा कि भिन्न कालों मे आर्थिक विषमताओं के कारणों के विवेचना में जहां भौगोलिक, समाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया गया वहीं आर्थिक भिन्नताओं के कारकों के विवेचना में जहां भौगोलिक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया गया वहीं आर्थिक विकास के इतिहास की वैज्ञानिक विवेचनाओं के माध्यम से भिन्न तत्वों का अध्ययन किया गया वहीं आर्थिक विकास के इतिहास की वैज्ञानिक विवेचनाओं के माध्यम से भिन्न तत्वों को विश्लेषित किया गया।

वर्तमान शोध के उद्देश्य

वर्तमान शोध कार्य के अंतर्गत शोध समस्या के गहन अध्ययन एवं अवलोकन के परीक्षण के लिये शोधकर्ता ने निम्नलिखित शोध उद्देश्य निर्धारित किये है।

- ❖ सिवनी जिले की आदिवासी समाज के अर्थव्यस्था में हुए औद्योगिक परिवर्तनों का अध्ययन करना।
- ❖ जनजातीय आर्थिक जीवन को विकासोन्मुख करने वाले प्रभावशाली कारकों की पहचान करना।
- ❖ अंतर जनजातीय आर्थिक भिन्नताओं के कारणों का गहन अध्ययन करना।
- ❖ आर्थिक विषमता दूर करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव करना।

शोध परिकल्पना

प्रस्तुत अध्ययन में परिकल्पना का निर्माण, अध्ययन की शिथिलता को समाप्त कर अनुसंधान कार्य को उद्दीप्त करने की दृष्टि से आवश्यक है, इससे न केवल अनुसंधान कार्य में प्रेरणा मिलती है, बल्कि यह अध्ययन की पद्वति के विकास में भी सहायक होगी, परिकल्पना प्रायोगिक प्रविधियों के मूल्यांकन की कसौटी होने के साथ साथ संगठनात्मक शक्ति के रूप में भी होती है, जो कि किसी समस्या को सीमांकित करती है, इससे तर्कसंगत समंकों का संकलन भी संभव होता है, परिकल्पना की रचना से न केवल घटना से संबंधित विशिष्ट चरों का पता चलता है, बल्कि उनके अध्ययन में उनके विशिष्ट साहचर्यात्मक संबंध का भी ज्ञान होता है। परिकल्पना वैज्ञानिक निष्कर्षो की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ सिद्वांत की रचना व विवेचना में भी सहायक होती है।

शोध प्रविधि

अध्ययन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये शोध प्ररचना एवं शोध प्रक्रिया की आवश्यकता को नजर अंदाज नही किया जा सकता। शोध कार्य में सांख्यिकीय अध्ययन विश्व स्तर में मान्य पद्वति है। जिले के जनजातीय परिवारों में आर्थिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिये सांख्यिकीय पद्वति का अनुसरण किया गया है, और अध्ययन कार्य में ज्यादातर प्राथमिक संमकों का प्रयोग किया गया है। सांख्यिकीय अध्ययन हेतु सूचनाओं व संमकों का निम्नानुसार संकलन एवं विवेचना किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोधकर्ता को मुख्यतः प्राथमिक संमकों पर निर्भर रहना पडता है। जहां द्वितीयक संमकों की आवश्यकता महसूस की गई वहां उपलब्ध द्वितीयंक संमकों का भी प्रयोग किया गया है। ये समंक कुछ वर्ष पुराने भी जिन्हें समय के अनुरूप ढालने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र

अनुसंधान का क्षेत्र. मध्य प्रदेश राज्य का संपूर्ण सिवनी जिला हैं चूंकि सिवनी जिला मध्यप्रदेश की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिले का आर्थिक विकास मूलतः जिले के आदिवासी समाज के आर्थिक विकास पर निर्भर है। जिले में भिन्न जनजातियों उपजाति के साथ निवास करती है। जो कि जनसंख्या की दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी अत्याधिक विषमतायें रखती है।

न्यादर्श ग्राम एवं परिवारों का चयन

वर्तमान शोध का क्षेत्र. संपूर्ण सिवनी जिला है जिले में कुल 8 विकास खण्ड हैं जिनमें से कुल 24 न्यादर्श परिवारों चयन किया है। न्यादर्श ग्रामों का चयन करते समय आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या के आंकडों को आधार माना गयाा है। न्यादर्श ग्रामों का चयन करते समय प्रत्येक विकासखण्ड के तीन तीन ग्रामों का चयन किया गया है। जिसकी ग्राम अनुसूची नीचे तालिका मे प्रदर्शित की गई है। न्यादर्श परिवारों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है। कि भिन्न भिन्न जनजातियों को पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अतः इन ग्रमों में निवास करने वाले भिन्न जनजातियों के परिवारों का चयन निम्न आधार पर किया गया है।

तालिका 1 न्यादर्श ग्राम एवं जनजाति की अनुसूची

क्र0	न्यादर्श ग्राम	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	जनजाति जाति
1	जवना	भटेखारी	सिवनी	गोंड, परधान, नगारची एवं ओझा
2	लुंगसा	लुंगसा	सिवनी	गोंड, परधान, नगारची एवं ओझा
3	म्लांजपुर	जोरावारी	सिवनी	गोंड, परधान, नगारची एवं ओझा
4	जावरकाठी	जावरकाठी	बरघाट	गोंड, परधान, नगारची एवं ओझा
5	सर्रा	चिरचिरा	बरघाट	गोंड नगारची एवं ओझा
6	धोबीसर्रा	धोबीसर्रा	बरघाट	गोंड परधान,नगारची एवं ओझा
7	बेलपेठ	बेलपेठ	कुरई	गोंड परधान,नगारची एवं ओझा
8	सिंदरिया	ढुटेरा	कुरई	गोंड परधान, एवं ओझा
9	अम्बाडी	संतोषा	कुरई	गोंड परधान, एवं ओझा
10	गेपेवानी	खुर्सीपार माल	केवलारी	गोंड परधान, एवं ओझा
11	स्नवारी	बिछुआ रैयत	केवलारी	गोंड नगारची, एवं ओझा
12	पिपरदोन	झोला	केवलारी	गोंड नगारची, एवं ओझा
13	मसूरभासरी	पायली कोडिया	छपारा	गोंड नगारची, एवं ओझा
14	ब्रसला	रामगढ	छपारा	गोंड नगारची, एवं राजगोंड

15	सूखामाल	मुडरई	छपारा	गोंड नगारची, एवं राजगोंड
16	कोसमघाट	पाथरकाठी	लखनादौन	गोंड नगारची, एवं राजगोंड
17	बैबी	बीबी	लखनादौन	गोंड एवं राजगोंड
18	खापा	औरापानी	लखनादौन	गोंड एवं राजगोंड
19	टमोदा	खमरिया बाजार	घंसौर	गोंड एवं राजगोंड
20	भालीवाडा	भालीवाडा	घंसौर	गोंड राजगोंड एवं ओझा
21	जमुनिया	डुंगरिया	घंसौर	गोंड राजगोंड एवं ओझा
22	सुजालपार	मठदेवरी	धनौरा	गोंड राजगोंड एवं ओझा
23	खिरखिरी	सर्रा	धनौरा	गोंड, परधान, नगारची एवं ओझा
24	थ्दवारा	साजपानी	धनौरा	गोंड, परधान, नगारची एवं ओझा

तलिका 2 न्यादर्श ग्रामों के चुने गये न्यादर्श परिवार की संख्या

जनसंख्या	श्रेणी ग्राम	न्यादर्श परिवार
30 परिवार से अधिक	प्रथम	20 परिवार
20 परिवार से अधिक 30 से कम	द्वितीय	12परिवार
10 परिवार से अधिक 20 से कम	तृतीय	8 परिवार
कुल		40परिवार

तलिका कमांक (3) औद्योगिक वर्गो के आधार पर श्रमिकों का प्रतिशत वितरण

(सर्वेक्षण के आधार पर नवम्बर 2002 से मार्च 2003)

	गोंड	परधान	नगारची	ओझा	राजगोंड
(क)प्राथमिक क्षेत्र	95.84	88.3	94.83	94.02	97.01
(1) कृषक	37.92	24.63	79.41	29.77	64.33
(2) कृषि श्रमिक	56.04	62.14	14.75	63.29	31.27
(3) पशुपालन वन	1.88	1.53	.67	.96	1.41
(ख) द्वितीयक क्षेत्र	–	0.37	–	–	–
(4) खाने	–	–	–	–	–
(5) उद्योग(अ)(ब)	–	0.37	–	–	–
(निर्माण)	–	–	–	–	–
(ग)तृतीयक क्षेत्र	4.16	11.33	5.17	5.98	2.99
(7) व्यापार एवं वाणिज्य	–	–	–	–	–
(8) परिवहन भंडागार	–	–	–	–	–
(9)अन्य सेवायें	4.16	11.33	5.17	5.98	2.99

इस प्रकार अध्ययन हेतु जिले की पांच भिन्न जनजातियों के 24 न्यादर्श ग्रामों के कुल 200 परिवारों का अनुसूची के माध्यम से न्यादर्श सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त संमकों का सम्पादन वर्गीकरण एव विश्लेषण कर उचित सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष प्राप्त किये गये है।

सिवनी जिल का आर्थिक सामाजिक एवं भौगोलिक परिदृश्य

जिला सिवनी वर्तमान स्वरूप में 1 नवम्बर 1956 को मध्य प्रदेश के पुर्नगठन के समय स्थापित हुआ था। इससे पूर्व सिवनी को बिट्रिश शासन काल में सन् 1931 में छिंदवाडा जिले की एक तहसील के रू‍ में मान्यता दी गई थी सिवनी जिले के नामकरण के संबंध में दो धारणायें प्रचलित है। प्रथम धारणा के अनुसार जिले का यह नाम सेवन वृक्षों की अधिकता के कारण पडा है तथा दूसरी धारणा के अनुसार इस जिले का नमा आल्हा की पत्नी सोनारानी के नाम पर रखा गया है इसके अतिरिक्त धारणा है कि यहां एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस कारण से इस जिले का नाम श्विपणी पडा है, हो सकता है वही नाम अपभ्रंश होते होते सिवनी के नाम से प्रचलित हो गया हो। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की प्रशासनिक और राजनैतिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने उद्देश्य से राज्य पुर्नगठन हेतु एक पुर्नगठन आयोग स्थापित किया गया इसी आयोग में पुर्नगठित मध्यप्रदेश में सिवनी और लखनादौन तहसील को छिंदवाडा जिले से अलग करके जबलपुर संभाग के अंतर्गत एक पृथक जिले के रूप में मान्यता प्रदान की।

भौगोलिक परिचय

सिवनी जिला म.प्र. के दक्षिण पूर्व में स्थित है यह सतपुडा पठार पर स्थित है। राष्टीय राजमार्ग क्रमांक 7 सिवनी नगर के मध्य से गुजरता है। यह जिला उत्तर में चौडा और दक्षिण में सकरा है। जिले का फैलाव 21.36 अंश से 22.57 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 79.19 अंश से 80.17 अंश पूर्वी देशांश तक है। जिले की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई लगभग 138 कि. मी. तथा पूर्व से पश्चिम तक की चौडाई लगभग 69

किलो मीटर है जिले का कुल क्षेत्रफल 8758 वर्ग किलोमीटर है इसकी सीमायें पश्चिम में छिंदवाडा उत्तर पश्चिम में नरसिंहपुर, उत्तर पूर्व में मंडला उत्तर में जबलपुर पूर्व में बालाघाट दक्षिण पूर्व में भंडारा (महराष्ट) तथा दक्षिण में नागपुर (महाराष्ट) को स्पर्श करती है। इस प्रकार सिवनी जिला महाराष्ट और मध्य प्रदेश के मध्य संबंधों को सुचारू बनाने में सेतु जैसी भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

अध्ययन क्षेत्र की जनजातियों का परिचय

सिवनी जिला सतपुडा की घाटियों में 8758 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है। जिले के कुल क्षेत्रफल का लगभग एक तिहाई भाग वनों द्वारा आच्छादित है। जिले में जनजातीय परिवार समूह के अंतर्गत विभिन्न समूह निवास करते है। किंतु उनमें प्रमुख गोंड जनजाति है। शेष समूह इस जाति की उप जातियां है। जिनमें परधान नगारची ओझा एवं राजगोंड सम्मलित है जो कि जिले के लगभग सभी विकास खण्डों मे निवासरत है।

विश्लेषणः

शोधकर्ता के द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त आंकडों से इन विभिन्न जनजातियों का जो व्यवसायिक स्वरूप उभरता है जो कि अग्रांकित तालिका द्वारा स्पष्ट है।

निष्कर्ष –

उपर्युक्त तालिका (3) द्वारा स्पष्ट है कि विभिन्न जनजातियों के व्यवसायिक स्वरूप पूर्व संरचना से भिन्न नहीं हैं। सर्वेक्षण में परधान जनजाति 88.3 प्रतिशत,ओझा 94.02 प्रतिशत,नगारची 94.83 प्रतिशत गोंड जनजाति 95.84 प्रतिशत एवं राजगोंड जनजाति की 97.01 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं।

कृषक वर्ग में विभिन्न जनजातियों के प्रतिशत की भिन्नता है जहां नगारची जनजाति में 79.41 प्रतिशत,राजगोंड में 64.33 प्रतिशत एवं गोंड जनजाति में 37.92 प्रतिशत कृषक हैं वहीं ओझा जनजाति की मात्र 29.77 प्रतिशत एवं परधान जनजाति की 24.63 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या इस वर्ग में वितरित हैं।

कृषि श्रमिक वर्ग में ओझा एवं परधान जनजाति का स्थान उच्च हैं। परधान जनजाति का 62.14 प्रतिशत, ओझा जनजाति का 63.29 प्रतिशत एवं गोंड जनजाति का 56.04 प्रतिशत वर्ग कृषि श्रमिक हैं। वहीं नगारची जनजाति के 14. 75 प्रतिशत एवं राजगोंड जनजाति के 31.27 प्रतिशत वर्ग कृषि श्रमिक हैं।

पशुपालन,वन एवं मत्स्य पालन वर्ग में गोंड जनजाति की 1. 88 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील हैं। वही परधान जनजाति की 1.53 प्रतिशत, राजगोंड जनजाति की 1.41 प्रतिशत,ओझा जनजाति की .96 प्रतिशत एवं नगारची जनजाति की 0.67 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है अर्थात् जनजातियों की इस क्षेत्र में निर्भरता पूर्व की तुलना में धीरे धीरे कम हो रही हैं।

प्राथमिक क्षेत्र के भिन्न वर्गो में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत जनजातियों के आर्थिक स्तर को स्पष्ट करता हैं। नगारची,राजगोंड एवं गोंड जनजाति जहां कृषि कार्य मे सापेक्ष रूप से अधिक कार्यशील है वहीं ओझा एवं परधान कृषि श्रमिक वर्ग में अपेक्षा कृत अधिक है। गोड जनजाति का पशुपालन,वन मत्स्य पालन में 1.88 प्रतिशत उनमें अपेक्षाकृत आर्थिक परिवर्तन की मंद गति को स्पष्ट करता है। वहीं परधान जनजाति में यह प्रतिशत 1.53 होते हुए भी इसके आर्थिक परिवर्तन की गति को स्पष्ट करता हैं।

विभिन्न जनजातियों के सर्वेक्षण का केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से खाने एवं अन्य उद्योग में कार्यशील जनसंख्या का न्यादर्श नहीं आ सका किंतु जहां कुटीर उद्योग का प्रश्न है प्रायः नष्ट हो गये हैं। जनजातियों का कुटीर उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य से आय प्राप्त करने का प्रतिशत नगण्य हैं।

शासकीय सेवाओं के प्रतिशत वितरण में भी परधान,ओझा एवं नगारची जनजाति का प्रतिशत अधिक हैं परधान जनजाति का 11.33 प्रतिशत प्रतिशत,ओझा जनजाति का 5.98 प्रतिशत,नगारची जनजाति का 5.17 प्रतिशत गोंड जनजाति के 4.16 प्रतिशत एवं राजगोंड जनजाति के 2.99 प्रतिशत की तुलना में कहीं अधिक हैं।

प्रति व्यक्ति आय जों कि परधान एवं गोंड जनजाति में तुलनात्मक रूप से अधिक है, में शासकीय सेवाओं में कार्यशील सदस्यों के प्रतिशत की महत्वपूर्ण भूमिका है। परधान जनजाति का कृषि क्षेत्र में जहां तीव्र परिवर्तन कृषि श्रमिक वर्ग में हुआ वहीं भूमिहीन परिवारों का शासकीय सेवाओं में भी व्यावर्तन देखा जा सकता हैं।

उपसहांर :

व्यवसायिक ढांचे के परिवर्तन में उस क्षेत्र में आर्थिक विकास से संबंध हैं वहीं रोजगार की प्रतियोगिता में (प्राथमिक को छोड़कर) शिक्षा के स्तर का भी महत्वपूर्ण स्थान हैं। वे जनजातियों जिन्हें आर्थिक दबाव महसूस हुआ हैं, साथ ही साथ शिक्षा के स्तर में सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई हैं। तृतीयक क्षेत्र में स्थान पा सके हैं किन्तु जनजातीय समाज के विभिन्न समूहों में प्रवासी प्रवृति न होने के कारण अन्यत्र रोजगार पाना कठिन कार्य हैं।

कृषक समाज जो कि अपनी भूमि, पशुधन से भावनात्मक संबंध रखता है, अन्य व्यवसाय में जाने का इच्छुक नहीं रहता। परम्परागत व्यवसाय से समाज की जीवन विधि जुड़ी रहती हैं। जनजातीय समाज को भले ही अन्य आर्थिक क्रियाओं से अधिक लाभ प्राप्त होता है किंतु वे अपने समाज में रहकर ही कार्य करना पसन्द करते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार की संभावनायें कम हैं जहां उद्योग विकसित भी हुए तो उन्हें स्थान प्राप्त नहीं हो सका।

जनजातीय समाज के जो लोग प्रवासी होकर अन्यत्र गये, चाहे वे शासकीय आरक्षण के माध्यम से शासकीय सेवाओं में कार्यरत हो या खानों तथा बागान के मजदूर,उनका उस समाज की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं देखा जा सकता। सेवा क्षेंत्र में यदि समाज के कुछ सदस्य कार्यशील होकर शहरों में रहने भी लगते हैं तो सुदूर अंचलों में बसे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को उनसे क्या लाभ। इनके द्वारा कोई पूंजी निवेश उस अर्थव्यवस्था के लिये तो नहीं हैं, न ही उनकी आय का पुनरूत्पादन ही हो पाना सम्भव हो पाता हैं। भले ही उस सदस्य का परिवार एक शहरी क्षेत्र में आकर अपने आप को एक नये वातावरण में ढाल ले, तथा अपने आपको सभ्य पुरूष समझ अपने समाज के उन लोगों से घृणा करने लगे।

सुझावः

1. वृहत् स्तर पर आर्थिक परिवर्तनों के लिये बचत का उत्पादक कार्यो में विनियोजन होना आवश्यक है। जो कृषक समाज के सेवा क्षेत्र में कार्यशील होने से सम्भव नहीं, जब तक उनके उत्पादक क्षेत्र प्रमुख रूप से कृषि पर एवं उनके कुटीर उद्योग पर हमारा ध्यान केन्द्रित नहीं होता किंतु जब हम कृषक वर्ग से कृषि श्रमिक वर्ग या कुटीर उद्योग का हास देखते हैं तो व्यवसायिक स्वरूप का परिवर्तन कुछ धनात्मक नहीं कहा जा सकता ।
2. सम्पत्तियों के धारण के संदर्भ में यह तथ्य उभरकर आया है कि उच्च वर्ग के लोग जनजातियों के नाम पर संपत्तियों की खरीद करते हैं जिस कारण शासकीय योजनाओं का जो लाभ आदिवासी परिवारों को मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं पा रहा हैं। अतः इन योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण सतर्कता बरती जाए तथा संबंधित कानून का कड़ाई से क्रियान्वयन एवं पालन किया जाए।
3. ऋण संबंधी अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि शासकीय ऋण का लाभ आदिवासियों को माध्यम बनाकर गैर आदिवासी समुदाय ले रहा है अतः ऋण देने संबंधी नियमों का सतर्कता से पालन किया जाए।
4. शासकीय ऋण का लाभ अधिकतर बडे जोत आकार वर्ग के कृषक ही ले पा रहा है छोटे एवं माध्यम जोत आकार वर्ग के कृषक ऋण प्रक्रिया की जटिलता के कारण शासकीय एजेसिंयो की बजाए साहूकार या व्यापारी से ऋण देने की प्रक्रिया सरल की जाये।
5. व्यवसायिक स्वरूप के अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि अब भी ज्यादांतर जनजातीय परिवार प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रहे है। द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार के अवसर कुटीर उद्योगों के ह्रास होने के कारण समाप्त सा हो गया है। अतः शासन को अपनी नई नीति निर्माण में आदिवासी क्षेत्रों को विशेष रियायतों से भरा पैकेज देने का निर्णय लेना चाहिए।
6. जनजातीय परिवारों के आर्थिक परिवर्तन में शिक्षा एक प्रमुख घटक है जो उनके विकास को दर्शाती है। इस संबंध में शोधार्थी ने पाया कि अधिकांश जनजातीय परिवारों के बच्चे प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक ही अध्ययन करते है।बहुत कम छात्र–छात्राऐं उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो पाये है। अतः शैक्षिक क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधाओं का स्वरूप कुछ ऐसा हो कि उनमें सतत् शिक्षा की प्रवृत्ति बनी रहे।

संदर्भ ग्रन्थ –

1. अटल योगश, डॉ.श्यामचरण दुबे (1965) आदिवासी भारत,राजकमल प्रकाशन,दिल्ली
2. बोस,निर्मल कुमार – भारतीय आदिवासी जीवन,नेशनल बुक ट्रस्ट (इंडिया) नई दिल्ली
3. भल्ला, जी.एस.(1974) – चेंजिंग एग्रेरियल स्ट्रक्चर इन इंडिया, मीनाक्षी प्रकाशन,दिल्ली,
4. छुबे बी.के.एफ.बहादुर (1961) – एस्टेडी आफ द ट्राइबल प्यूपिल एण्ड ट्राइवल एरिया ऑफ मध्यप्रदेश,गवर्नमेन्ट ऑफ म0प्र0 इंदौर
5. दुबे श्यामाचरण(1980) – ट्राइबल एण्ड इंडियन सिविलाइजेशन यूनिवर्स,मध्यप्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान,भोपाल।
6. दुबे श्यामाचरण (1975) – एक भारतीय ग्राम,नेशनल पब्लिकेशन हाऊस, दिल्ली,।
7. डब्ल्यू. अर्थर ल्यूईस (1962) – अर्थिक विकास के सिद्धांत राजकमल प्रकाशन दिल्ली,
8. डीमोगांवकर – एस.जी–प्राब्लम ऑफ डव्हलपमेन्ट आफ ट्राइबल एरिया,लीलादेव पब्लिकेशन,आंदन नगर, दिल्ली।
9. गांधी,मोहन दास करमचंद (1926) – यंग इंडिया,जून 17
10. गुन्नार मिर्डल (1983)– एकानामिक थेवरी एण्ड अण्डर डवलप्डरीजन म.प्र.हिंदी ग्रंथ अकादमी,भोपाल,(हिन्दी रूपान्तरण)
11. गुन्नार मिर्डल (1968) – एशियन ड्रामा एलीन लेन द पेंजीन प्रेस
12. गुन्नार मिर्डल – विश्व निर्धनता को चुनौती,राजकमल प्रकाशन,दिल्ली
13. डॉ. कौशिक एस.डी.(1981) – मानव तथा आर्थिक भूगोल,रस्तोंगी पब्लिकेशन मेरठ
14. मिश्र,उमाशंकर प्रभातकुमार तिवारी (1975) – भारतीय आदिवासी उत्तर प्रदेश, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ
15. मजूमदार, डी.एन.(1950) – ए ट्राइबल इन ट्रांजिशन